



☎: (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फैक्स: 07582-222070, 224543
ई-मेल: dmsagar@nic.in

न्यायालय कलेक्टर जिला सागर (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 0149/अ-20 (3)/2023-24,

मौजा-सरखेड़ा प.ह.नं. 07,
तहसील देवरी जिला सागर

- कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-01,
सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

-: संशोधित आदेश :-

(पारित दिनांक 10.11.2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्र.क्र. 0149/अ-20 (3)/2023-24 आदेश दिनांक 28.11.2024 द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी प.ह.नं. 07 स्थित भूमि ख.नं. 326 रकबा 75.510 हे. में से 10.26 हे. भूमि पिपरिया जसराज जलाशय के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा-237 (3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए-म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 17 अनुसार, वन विभाग म.प्र.शासन भोपाल को हस्तांतरित करने का आदेश पारित किया गया है।

संज्ञान में आया है कि-आदेश दिनांक 28.11.2024 में लिपिकीय त्रुटिवश वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी प.ह.नं. 07 भूमि ख.नं. 326 कुल रकबा 75.51 हे. में से 10.26 हे. लेख हुआ है जो कि सही हस्तांतरित रकबा 10.62 हे. है।

अतः पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 के पृष्ठ क्रमांक-02 में वर्णित सारणी के कॉलम क्रमांक 06 में लेख हस्तांतरित रकबा 10.26 हे. के स्थान पर 10.62 हे. प्रतिस्थापित करने का संशोधित आदेश जारी किया जाता है।

यह संशोधित आदेश मूल आदेश का अंश होगा तथा शेष मूल आदेश दिनांक 28.11.2024 यथावत रहेगा। संशोधित आदेश पारित एवं उद्घोषित।

कलेक्टर,

जिला-सागर (म.प्र.)

सागर, दिनांक 10.11.2024

पृ.क्र./455/रीडर/2024

प्रतिलिपि :-

- वन विभाग म.प्र.शासन भोपाल।
- नजूल अधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर की ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी जिला-सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
- अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- नायब तहसीलदार गौरझामर तहसील देवरी जिला-सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- नगर तथा ग्राम निवेश सागर को सूचनार्थ।
- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

पृ.क्र. 186 जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :- अनु. 331/अ. जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म.प्र.)
श्रीमान् मालचोन जी ओर 148 आवश्यक कार्यवाही हेतु

Order

हेतु प्रेषित।

1

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.- 0149/अ-20(3)/वर्ष 2023-24

मौजा- सरखेड़ा प.ह.नं. 07

तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर (म.प्र.)
विरुद्ध
मध्यप्रदेश शासन

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 28/11/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 खसरा नंबर 326 रकवा 75.510 हे. में से 10.62 हे. भूमि पिपरिया जसराज जलाशय के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को हस्तांतरित किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इशतहार का प्रकाशन ग्राम में एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सरखेड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर भूमि मिसल बंदोबस्त अनुसार पहाड़/चट्टान के रूप में दर्ज है उक्त भूमि में से रकवा 10.26 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें ग्राम वासियों एवं पंचायत की तरफ से सहमति है। वर्तमान में उक्त भूमि का अधिकांश भाग रिक्त एवं अनुपजाऊ है एवं इसका कुछ भाग लगभग 2.00 हेक्टेयर का उपयोग खेलकूद गतिविधियों हेतु किया जाता है। पिपरिया जसराज जलाशय बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर में से रकवा 10.26 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा प्रारूप-2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हे. म.द (पहाड़) में से 10.26 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आवंटन की जाना है। उक्त संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आक्षेप/आपत्तियां प्राप्त नहीं। स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी द्वारा आवेदित भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवंटन हेतु उपयुक्त है प्रस्तावित रकबे को नक्शा में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है।

P.T.O.

र/स
28/11/24

// 2 //

सा.प्र.क्रं.- 0149/अ-20(3)/वर्ष 2023-24

ग्राम का चरनोई रकवा 16.90 हे. है, खाते के रकवा के मान से 2% प्रतिशत चरनोई रकवा 8.00 हे. है, आवेदित भूमि आवंटित उपरांत ग्राम का चरनोई का रकवा 2% प्रतिशत से 8.90 हे. अधिक शेष रहेगा। आवेदित भूमि ग्राम सरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) शासकीय मध्यप्रदेश शासन का अंश भाग रकवा 10.62 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत आवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 21.10.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मौजा सरखेड़ा प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर तहसील देवरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) में से रकवा 10.62 हेक्टेयर भूमि "म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" पिपरिया जसराज जलाशय (बांध) के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार गौरझामर, अनुविभागीय अधिकारी देवरी, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :-

क्र.	ग्राम/तहसील का नाम	प.ह.नं.	खण्ड	कुल रकवा (हे.मै)	हस्तांतरित रकवा (हे.मै)	मद	विभाग का नाम
1	सरखेड़ा/देवरी	07	326	75.51	10.26	शासकीय पहाड़	वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
कुल योग-					10.26		

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए "म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार - राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 28/11/2024

पृ०क्र०/10099 /री०कले०/2024

प्रतिलिपि:-

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनाार्थ।

P.T.O.

// 3 //

रा.प्र.क्रं.- 0149/अ-20(3)/वर्ष 2023-24

2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नायब तहसीलदार, गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नगर तथा ग्राम निवेश सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला-सागर





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11161288581

ग्राम: सरखेड़ा			पटवारी हत्का: सरखेड़ा			तहसील: देवरी			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विच्छेद तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161374 4684 81G3U9 DBS6P CH0	326/1/ 1/1/1/ 2 (S)		10.6200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0138/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 02/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0002/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 29/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0137/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 02/02/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0044/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 06/02/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0149/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 10/01/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

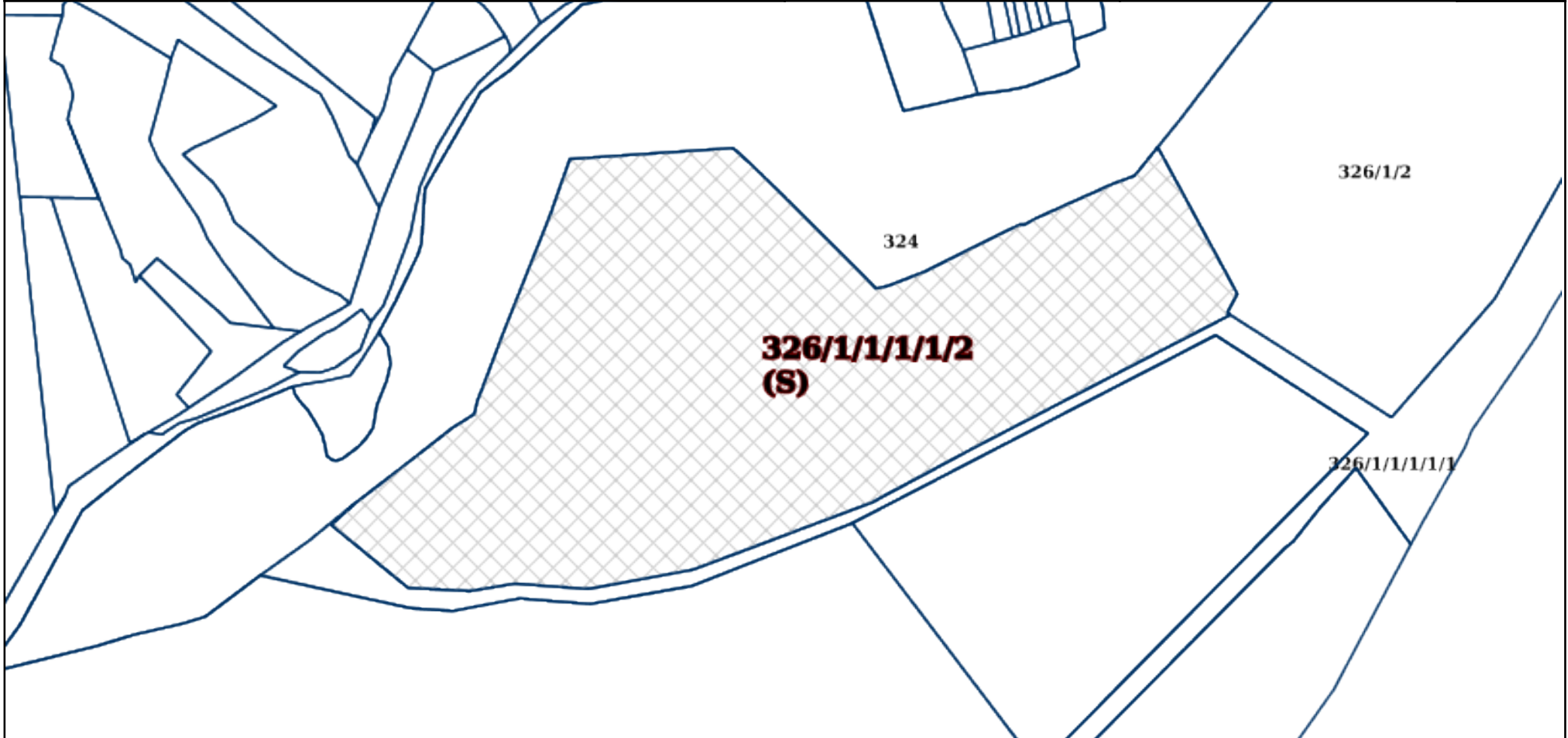


मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर. नं. : 11161282973

वर्ष: 2024-25

दिनांक : 28-03-2025 16:50:51



ब्लॉक सं.:	ग्राम:सरखेड़ा	हल्का:सरखेड़ा	तहसील:देवरी	जिला:सागर
सर्वेक्षण सं.: 326/1/1/1/2(S)	क्षेत्रफल:10.6200(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m
मध्यप्रदेश शासन (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था			(हस्ताक्षर)	